



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

उ०शि०आयोग/सी- / 627/2020-21

दिनांक : 05 अक्टूबर, 2020

प्रेस-विज्ञप्ति

विज्ञापन सं०-49 में विज्ञापित प्राचार्य पदों की लिखित परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण न करने के कारण अनर्ह घोषित किये गये अभ्यर्थियों का सकारण विवरण आयोग के पोर्टल www.uphesonline.org एवं वेबसाइट www.uphesc.org पर उपलब्ध करायी गयी थी। आयोग द्वारा पुनः 05 अभ्यर्थियों को उक्त सूची में सम्मिलित करते हुए संशोधित सूची आयोग के पोर्टल www.uphesonline.org एवं वेबसाइट www.uphesc.org पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों के अनुरोध व अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थियों के हित में दिनांक 06.10.2020 की तिथि को दिनांक 09.10.2020 तक बढ़ाया जाता है जिसे अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के बाद प्राप्त प्रत्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

सचिव
उ०शि० आयोग

(डॉ० शिवजी मालवीय)
उपसचिव
कृतसचिव
05/10/20